न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1115 / 2020
अनवान : –

1. लक्ष्मण पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रघुवीर पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. बादो देवी पत्नी बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. गुडडी देवी पुत्री बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. इन्द्रा देवी पुत्री बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. भूपराम उर्फ मनसुख पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 206 की कुल 3.8440 हैक्ट भूमि वादी के पिता बिड़दाराम की भूमि थी जो बिड़दाराम वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 जो की बिड़दाराम के वारिस थे जिन्हें प्रतिवादी संख्या 5 भूपराम उर्फ मनसुख अपने ताउ प्रेमाराम के खोले चले गया इसलिए बिड़दाराम की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

बिड़दाराम की मृत्यु के पश्चात तथ्य छुपाकर तथा पटवारी हल्का से मिली भगती कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 5 भूपराम को बिड़दाराम का वारिसान का 1/5 हिस्सा दर्ज करवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 इन्द्रा का नाम छिपाकर पांचों के नाम बहिब दर्ज करवा लिया जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हको के खिलाफ है इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर प्रतिवादी न0 5 भूपराम का नाम कलमजन किया जाकर उसकी जगह प्रतिवादी न0 4 इन्द्रा देवी के नाम 1/5 हिस्सा भूमि करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

भूपराम उर्फ मनसुख प्रेमाराम के खोले चला गया है इसलिए उसका इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है तथा इन्द्रा देवी जो बिड़दाराम की पुत्री है का अपने भाईयों के साथ बहिब हक हिस्सा है इसलिए उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा बनता है वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम पहले से ही 1/5 हिस्सा दर्ज है इसलिए भूपराम का नाम कलमजन किया जाकर उनका 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक सहमति ईकबाल डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा किंकराली खाता संख्या 117/111, सरपंच ग्राम पंचायत किंकराली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत किंकराली द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम के सम्बन्ध में तस्दीक, चित्रप्रति गोदनामा, भूपराम उर्फ मनसुख द्वारा अपने नाम के संबंध में मूल शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 के नाम दर्ज है भूपराम उर्फ मनसुख प्रेमाराम के खोले चला गया है इसलिए उसका इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है तथा इन्द्रा देवी जो बिड़दाराम की पुत्री है का अपने भाईयों के साथ बहिब हक हिस्सा है इसलिए उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा बनता है वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के नाम पहले से ही 1/5 हिस्सा दर्ज है भूपराम प्रेमाराम के खोले चला गया है इसलिए भूपराम का नाम कलमजन किया जाकर उनका 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज किया जावे। गोमती, बादो व मनसुख ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की यह वाद दादालाई/ पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 206 की कुल 3.8440 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्य 1 ता 3 व 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय प्रतिवादी संख्या 4 को छुपाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 के नाम बहिब दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमाराम के खोले चला गया था बैयनामें की प्रति संलग्न है अतः प्रतिवादी संख्या 5 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है एवं वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा सही दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का नाम उक्त वाद भूमि में से कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार बिड़दाराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक सहमति डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 206 की कुल 3.8440 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1115/2020

अनवान : –

1. लक्ष्मण पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रघुवीर पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. बादो देवी पत्नी बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. गुडडी देवी पुत्री बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. इन्द्रा देवी पुत्री बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. भूपराम उर्फ मनसुख पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1115 सन 2020 निर्णय दिनांक – 12/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 206 की कुल 3.8440 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested